01/2020/
संख्या -1602/47-का-3-2019-13/7/2006

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ: : दिनांक: :28 जनवरी, 2020

विषय- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह 'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या- 1529/79-वि-1-14 -1(क)10/ 2014, दिनांक 04.12.2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम-2014 (अधिनियम संख्या-20 सन 2014)की धारा -5 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-2656 /47-का-3- 2014-13/94/99, दिनांक 20-11-2014 के क्रम में, अधिसूचना संख्या- 2812/47-का-3-14-13/7/2006, दिनांक 15-12-2014 के द्वारा वेतन बैण्ड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0- 1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0- 4600/- से कम के समस्त पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

2- उपर्युक्त के संबंध में समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित एवं अन्य के साथ सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को पृष्ठांकित कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-92/2923/का-3-2014-13 /7/2006, दिनांक 18.12.2014 द्वारा अधियाचन के प्रारूप की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए उक्त प्रस्तर-1 में संदर्भित वेतनमानों /ग्रेड पे के रिक्त पदों के समस्त अधियाचन सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

4- उक्त सम्बन्ध में नवीन अधियाचन का प्रारूप प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना व आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णत संबंधित विभाग की है। इस संबंध में अधियाचन में उपलब्ध कराये गये विवरण की प्रमाणिकता का दायित्व संबंधित विभाग का होगा तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ का इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा। प्रत्येक विभाग प्रेषित किये जाने वाले अधियाचनों में यह घोषणा भी करेंगे कि उनके द्वारा चयन वर्षवार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण प्रमाणिकता से आगणन कर लिया गया है। इस प्रकार की घोषणा सहित अधियाचन प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के स्तर से रिक्तियों के विज्ञापन की कार्यवाही करने में सुविधा होगी।

5- कृपया अधियाचन के संबंध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों के साथ उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करते हुए अधियाचन के नवीन प्रारूप पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ससमय अधियाचन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।

01/2020/
संख्या-1602/47-का-3-2019-13/7/2006,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तर प्रदेश ।

2- प्रमुख सचिव,मा0मुख्यमंत्री जी ।

3- प्रमुख सचिव,विधान परिषद/विधान सभा,उत्तर प्रदेश।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
7- सचिव,उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

/

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
विशेष सचिव ।

सीधी भर्ती के अधियाचन का प्रारूप

क्र सं		विवरण	टिप्पणी
1		अधियाचन का प्रकार- (सामान्य चयन अथवा विशेष चयन)	
2	(क)	विभाग का नाम	
	(ख)	पद नाम एवं (अधियाचित पद का नाम)	
	(ग)	1. क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हां या नहीं)	
		2. क्या यह पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है\	
3		क्या पद स्थायी/अस्थायी है \	
4		क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हां या नहीं)	
5		क्या पद नियमित नियुक्ति का है \	
6		क्या पद की सेवा नियमावली (का विवरण) बनी है (हां/नहीं), यदि नही तो शासन के प्रशासकीय विभाग के कार्यकारी आदेश जिसमें अर्हता, आयु सीमा आदि को निर्दिष्ट किया गया हो।	
7		वेतनबैंड/वेतनमान/ग्रेड-पे/मैट्रिक्स लेवल	
8		सेवा संवर्ग	
9		नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	
10		**चयन का आधार:-** (1) (अ) केवल साक्षात्कार (ब) केवल लिखित परीक्षा (स) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो भी लागू न हो उसे काट दिया जाए)	
		(2) उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक-31 अगस्त, 2017 चयन का आधार (परिशिष्ट-2 के अनुसार)	
		(3) यदि चयन में अन्य परीक्षा निहित है तो उसका उल्लेख किया जाय।	
11		संवर्ग में कुल सृजित पदों की संख्या-	
12-क		संवर्ग में सृजित रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण:- (आरक्षण की गणना परिशिष्ट-1 तथा 6 के अनुसार)	

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार विवरण	भरे पद	रिक्त पद	पूर्व में भेजे गये अधियाचित पदों की संख्या (अधियाचित पदों में शामिल किया गया गया है। नही)	अधियाचित पदों की संख्या
1	अनारक्षित-						
2	अनुसूचित जाति	21%					
3	अनुसूचित जनजाति	02%					
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%					
5	आर्थिक रूप से	10%					

		कमजोर वर्गों के लिये- (परिशिष्ट-3 के अनुसार)						
कुल पदों का योग:-								
12- ख	कुल सृजित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार लम्बवत आरक्षण का विवरण:- (परिष्टि 1 के अनुसार)							
	1	अनारक्षित पदों की संख्या:-						
	2	अनुसूचित जाति के पदों की संख्या						
	3	अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या						
	4	अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या						
	5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पदों संख्या (परिशिष्ट-1 व 4 के अनुसार)						
13	**कुल अधियाचित पदों की संख्या:-**							
	1	शासनादेश संख्या-18/1/95/-का-2/95 दिनांक- 20.09.97 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 2 प्रतिशत)।						
	2	समाज के विकलांगता हेतु आरक्षित पदों की संख्या:- (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 4 प्रतिशत) (परिशिष्ट-1 तथा 3 के अनुसार):-						
		उपश्रेणी (पद किस विकलांगता के लिए चिन्हित है):-(उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 संख्या-1479/79-वि-1-18-2(क)11-2018 दिनांक 23 जुलाई, 2018 के अनुसार						
		(क)	दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता					
		(ख)	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास					
		(ग)	प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता;					
		(घ)	स्वपरायणता, बौद्धिक नि:शक्त्ता, विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता और मानसिक अस्वस्थता;					
		(ड.)	खंड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु नि:शक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नि:शक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है;					
	3	शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/99-टी.सी-.2 दिनांक-09.09.1999 के प्राविधानुसार सैन्य नियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह 'ग' के पदों हेतु रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार)						
	4	शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/99-टी.सी.-2 दिनांक-26.02.1999 आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या:-						
14	शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य) तथा अन्य अर्हतायें जो अनिवार्य हों :-							
	(अ)	अनिवार्य अर्हताएं (जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अनुभव आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो) (परिशष्ट-5 के अनुसार) (यदि समकक्ष योग्यता है तो उसका उल्लेख किया जाए)						
	(ब)	सेवानियमावली के नियम-8 व 9 के अनुसार अधिमानी अर्हतायें अलग अलग						

		स्पष्ट की जाए, यदि कोई हों	
15	अन्य अनिवार्य योग्यता:-		
	(क)	शारिरिक मापदंड	
	(ख)	शारिरिक दक्षता परीक्षण	
	(ग)	टंकण/आशुलिपिक - टंकण (शब्द प्रति मिनट), अन्य कोई अर्हता	
16	आयु सीमा जैसा कि सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा का निर्धारण नियमावली में विहित हो:-		
	(क)	न्यूनतम	
	(ख)	उच्चतम	
	(ग)	आयु गणना की निर्णायक तिथि केलेंडर वर्ष 1 जुलाई जिस वर्ष पद विज्ञापित किये जाए, के अनुसार	
17	क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता \ (हां/नहीं) यदि हां तो किसके लिए और कितनी सीमा तक (शासनादेश दिनांक-27 अगस्त, 2013 के अनुसार) (परिशिष्ट-7 के अनुसार)		
18	अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता		
19	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
20	कर्तव्य		
21	क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है \ यदि हां तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा । उन शर्तों को बतायें जो उनके संबंध में शिथिल की जायेगी ।		
22	पद, जिसके लिये अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, के संबंध भारत के किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन तो नहीं है \		
23	कोई अन्य शर्त अथवा अर्हतायें, जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अंतर्गत नहीं आती		
24	पद जिसका अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, अग्रेनीत प्रकार का तो नहीं है।		

संलग्नक- (परिशिष्ट- 5,8 व 10 अनुसार):-

1

2

3

4

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम-

विभाग

परिशिष्ट:-

1. कार्मिक अनुभाग -2 के पत्र संख्या- 4/1/2001/का-2-2002 दिनांक – 27.06.2002 में वर्णित सीधी भर्ती के रोस्टर के अनुसार आरक्षित रिक्तियों की गणना की गयी है। राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की गणना शासनादेश संख्या-9/4/2/15/का-2/2015 दिनांक- 28 अगस्त, 2015 के अनुसार "आरक्षित रिक्तियों की गणना करते समय गणित के 'राउंडिंग ऑफ' के सिद्धांत को नहीं अपनाया जायेगा, वरन केवल पूर्णांकों को ही संज्ञान में लिया जायेगा तथा भिन्न (फ्रैक्शन) को नज़रंदाज़ (इग्नोर) किया जायेगा"।

2. चयन के आधार से सम्बंधित शासनादेशानुसार प्रश्नगत पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015, दिनांक- 11मई, 2015 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली 2017 के अनुसार- लिखित परीक्षा

3. उत्तर प्रदेश लोकसेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए (आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 दिनांक-23 जुलाई, 2018 के अनुसार।

4. उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेशसंख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी०सी०-1। दिनांक -18 फरवरी, 2019 में सरकारी सेवाओं के नियुक्ति के सम्बन्ध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

5. शैक्षिक अर्हता में अगर "समकक्ष" का उल्लेख हो तो समकक्षता के संगत शासनादेश की प्रति अधियाचन के साथ संलग्न करें। विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद जारी समकक्षता के शासनादेश उक्त विज्ञापन पर लागू नहीं होंगे।

6. यदि पद की रिक्तियां वर्षवार गणना के अनुसार हो तो संकलित कर गणना की जाए।

7. राज्याधीन सेवाओं में कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2- ई.एम./2001 का-4-2013, दिनांक-27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाए।

8. राज्याधीन सेवाओं में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों, शासनादेशों, जो चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित हो, को विभाग स्वयं अपने स्तर से अधियाचन में उल्लेख करें।

9. अधियाचन प्रेषित करने वाले प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदों का स्पष्टीकरण भलीभांति कर ले ताकि चयनोपरान्त किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

10. अधियाचन की दो प्रतियों के साथपद की सुसंगत सेवानियामवाली (यथा संशोधनों सहित), शासनादेश तथा कार्यालय ज्ञाप की सुस्पष्ट एवं पठनीय छायाप्रति संलग्न कर आयोग को उपलब्ध कराएँ।